



मोटर बीमा संबंधी नए दशा-नरिदेश

परीलमिस के लयि:

IRDA, IIB, टेलीमैटकिस बीमा

मेन्स के लयि:

भारत में मोटर बीमा संबंधी प्रस्ताव और इनके लाभ

चर्चा में क्यो?

हाल ही में भारतीय बीमा वनियामक और वकिस प्ररधकिरण (Insurance Regulatory and development Athaurity of India- IRDAI) द्वारा गठति एक पैनल ने टेलीमैटकिस बीमा (Telematics Insurance)- 'नामति बीमा नीति' (Named Driver Policy) के कारयानवयन का प्रस्ताव प्रस्तुत कयि है।

प्रमुख बढि:

- पैनल ने नजिी कारो और दो पहयिा वाहनो के लयि नामति चालक नीति का वकिलप प्रस्तुत कयि है।
- नामति चालक नीति के रूप में मोटर बीमा कवरेज उन चालको को दयिा जाएगा जो वशिष रूप से पॉलिसी में नामति होंगे, वाहन चलाने वाले अन्य व्यक्तयो के लयि बीमा कवरेज की सुवधि नहीं होगी।

मोटर की कषतसे संबंधति उत्पाद संरचना के लयि पैनल के सुझाव:

मोटर की कषत के लयि उत्पाद संरचना की समीकषा करते हुए पैनल ने नमिनलखिति सुझाव दयि है-

- मोटर वाहनो में यात्रा करने वाले सभी लोको के पास, मूल पॉलिसी के तहत, बीमति वाहन को दुर्घटना से प्राप्त 25,000 रुपए तक का चकितिसा व्यय कवरेज होना चाहयि तथा इसके लयि बीमाकर्त्ताओ द्वारा उचति प्रीमियम लयिा जाना चाहयि।
- इसके अलावा पैनल ने सुझाव दयिा है क की-डो या कून्तको द्वारा पहुँचाई गई कषतयिा पानी के कारण इंजन में होने वाली कषत आकस्मकि और बाहरी साधनो के तहत मूल बीमा नीति का हसिसा होनी चाहयि।
- नजिी कारो और दो पहयिा वाहनो (बलिकुल नए के अलावा) के लयि, वर्तमान वाहनो की कीमतों में नरिमाता द्वारा लगाए गए सभी पुरजो का मूल्य शामिल करते हुए बीमा राशिको शामिल कयिा जाना चाहयि।
- तीन साल तक की नई नजिी कारो के लयि वर्तमान ऑन रोड कीमत (On Road Price) में वाहन के इनवॉइस वैल्यू, रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क तथा नरिमाता द्वारा लगाए गए सभी सामानो के मूल्य को शामिल करते हुए बीमा राशिको शामिल कयिा जाना चाहयि।
 - बीमाधारक द्वारा लगाए गए सामान के मूल्य का उल्लेख अलग से कयिा जाना चाहयि।
- तीन वर्ष से अधिक के वाहनो के लयि, बीमति राशि, नई मूल्यहरास तालकिा के अनुसार होनी चाहयि।

नई मूल्यहरास तालकिा:

- बीमा राशि 7वें वर्ष के बाद बीमाधारक और बीमाकर्त्ता के बीच पारस्परकि रूप से सहमत मूल्य पर होनी चाहयि।
- वाणजियकि वाहनो के लयि बीमा राशि में वर्तमान दनि के चालान का मूल्य (Invoice Value) तथा कार की संरचना नरिमाण की लागत (यदि हो तो) शामिल होनी चाहयि।
- नरिमाता द्वारा लगाए गए सभी पुरजो पर मूल्यहरास का समायोजन 10% वार्षकि दर से होना चाहयि।
- चोरी, नुकसान आदिके दावो के लयि देय राशि, बीमा राशि होनी चाहयि।

- पैनेल के अनुसार, अवमूल्यन की दर वाहनों के प्रकार पर निर्भर करेगी।
- इसके तहत अब वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर पहले की तुलना में अधिक मुआवजा मलिया।
- दोपहिया वाहनों के संदर्भ में 6 महीने पुराने वाहन पर 95%, एक साल पुराने वाहन पर 90%, 7 साल पुराने वाहन पर 40% तक की राशि मिलेगी।
- वही कारों पर पहले 3 साल तक कोई अवमूल्यन नहीं लगाया जाएगा। तीन साल बाद अवमूल्यन दर 40% और 7वें साल में 60% हो जाएगी।

टेलीमैटिक्स बीमा (Telematics Insurance):

- टेलीमैटिक्स या ब्लैक बॉक्स बीमा (Black Box Insurance), एक प्रकार का कार बीमा है जिसके अंतर्गत एक छोटा बॉक्स कार में लगाया जाता है।
- यह बॉक्स कार की गतिविधियों जैसे- कार कब, कहाँ और कतिने किलोमीटर चलाई गई है, से संबंधित सभी आँकड़े संगृहीत करता है।
- इन आँकड़ों का प्रयोग व्यक्तिगत नवीकरण उद्धरण (Personalised Renewal Quotes) या प्रीमियम की गणना और दुर्घटना चेतावनी तथा चोरी की वसूली जैसी सेवाओं में किया जा सकता है।
- इस बॉक्स के चार घटक होंगे-
 - जीपीएस प्रणाली (GPS system)
 - गति संवेदक या त्वरणमापी (Motion Sensor or Accelerometer)
 - सिम कार्ड (Sim Card)
 - कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (Computer Software)
- भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (Insurance Information Bureau of India- IIBI) इन आँकड़ों के संरक्षण और प्रबंधन का कार्य करेगा।

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण

(Insurance Regulatory and Development Authority of India-IRDAI)

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) वैधानिक निकाय है।
- इसका गठन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अंतर्गत किया गया था।
- यह एक स्वायत्त संस्था है।
- इस 10 सदस्यीय निकाय में एक अध्यक्ष, पाँच पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्य होते हैं।
- इसका कार्य भारत में बीमा और बीमा उद्योगों को विनियमित करना तथा उन्हें बढ़ावा देना है।
- इसका मुख्यालय हैदराबाद में है।

भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो

(Insurance Information bureau of India- IIB)

- वर्ष 2009 में भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो का गठन बीमा उद्योग की कार्यप्रणाली सरल करने हेतु IRDA द्वारा किया गया था।
- IIB, IRDA अधिनियम 1999 की धारा (2) (1) (e) के तहत बीमा कंपनियों से डेटा लेने, संगृहीत करने के लिये अधिकृत है।

लाभ:

- मोटर बीमा के नए नियमों और शर्तों का मानकीकृत और सरल शब्दांकन ग्राहक को कवरेज और बहिष्करण को बेहतर शब्दों में समझने में सहायता करेगा।
- इसके अलावा इससे वाहनों की गलत बिक्री की संभावना भी कम होगी।
- बीमाधारक के लिये कम जोखिम उत्पन्न होगा तथा नुकसान अनुपात के सुधार में मददगार साबित होगा।

स्रोत- द हिंदू

